# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : 1— मनोज गोयल,
अध्यक्ष

2— एम.के. सिंह,
सदस्य

3— डा. मधु खरे,
सदस्य

स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 633—पीबीआर/2011

---

मध्यप्रदेश शासन

.....आवेदक

विरूद्ध

1— दयालबाग राधास्वामी सत्संग सभा
दयालबाग आगरा उत्तरप्रदेश
2— राधास्वामी ट्रेनिंग एम्पलायमेंट एण्ड
आदिवासी अपलिफ्टमेंट इंस्टिटयूट, हरदा म.प्र.
3— अतिरिक्त मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग, भोपाल म.प्र.
4— प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, भोपाल
5— प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.
6— मुख्य वन संरक्षक
नर्मदा महाविद्यालय के पास
होशंगाबाद म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी.के. शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय गुप्ता, एवं श्री दीपक जोशी, अभिभाषकगण अनावेदक क. 1 व 2
श्री एस.पी. श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 व 2
श्री गजेन्द्र सिंह तोमर, अभिभाषक अनावेदक क. 3, 5 व 6
श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक न्यायमित्र
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक न्यायमित्र
श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक न्यायमित्र
श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक न्यायमित्र
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक न्यायमित्र
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक न्यायमित्र
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक न्यायमित्र

---

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7-8-2015 को पारित)

यह स्वमेव निगरानी प्रकरण म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत संस्थति किया गया है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि समाचार पत्र दि एज नई दिल्ली के अंक दिनांक 18 सितम्बर, 2010 में Protected forest is still on lease to a private society शीर्षक से प्रकाशित समचार पत्र के आधार पर इस न्यायालय द्वारा विविध प्रकरण कमांक 1397–पीबीआर/2010 दर्ज कर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद से प्रतिवेदन चाहा गया । आयुक्त द्वारा प्रतिवेदन कमांक 18/आयुक्त/पीए/2011 दिनांक 18–11–2011 प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी दर्ज की जाकर अनावेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई । प्रारंभिक आपत्ति पर उभय पक्ष सहित न्यायमित्र अभिभाषकों के तर्क सुने गये ।

3/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पट्टा अनुबंध पत्र की शर्त कमांक 6 का गलत अर्थ निकाला गया है, क्योंकि उक्त पट्टा अनुबंध पत्र अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के मध्य

निष्पादित हुआ है तथा उन्हीं दोनों के मध्य ही संदेह तथा विवाद होने पर राजस्व मण्डल को संदर्भित किया जायेगा तथा राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय अनावेदक कमांक 1 एवं 2 पर बंधनकारी होगा । वर्तमान प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के मध्य न तो कोई संदेह है और न ही विवाद उत्पन्न हुआ है, अतः शर्त कमांक 6 इस प्रकरण में लागू नहीं होती है और इस न्यायालय को प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने का अधिकार नहीं है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 7 के अंतर्गत संहिता में दिये गये अधिकारों का उपयोग एवं शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये अधिकारों का ही उपयोग इस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जबकि संहिता की धारा 7 में एसे अधिकार नहीं दिये गये हैं । संहिता की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाहियों एवं आदेशों को ही स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जा सकता है । चूंकि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है और न ही कोई आदेश पारित किया गया है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा की जा रही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही अवैध है । यह भी कहा गया कि केवल अखबार में प्रकाशित समाचार के आधार पर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि शर्त में राजस्व मण्डल का उल्लेख है और राजस्व मण्डल का गठन 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों से होता है तथा 1 सदस्य राजस्व मण्डल नहीं कहलाया जा सकता है । अतः 1 सदस्य द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है और उसमें संरक्षित भूमि घोषित की गई है, इसलिए संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि शर्त कमांक 3 के अनुसार पट्टा अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन होने पर राज्यपाल को पट्टा निरस्त करने का अधिकार है, इस कारण भी इस न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी दर्ज कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । तर्कों के समर्थन में 2005 (9) सुप्रीम कोर्ट केशेज 686, 1998 आर.एन. 226 के न्याय दृटांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ न्यायमित्र श्री एस.के. बाजपेयी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के मध्य न तो किसी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न हुआ है और

न ही विवाद हुआ है । यदि विवाद भी होता है तो सर्वप्रथम पक्षकार को नोटिस दिया जायेगा तत्पश्चात इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी । अतः इस न्यायालय द्वारा की जा रही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है ।

5/ न्यायमित्र श्री आर.डी. शर्मा द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 राजस्व मण्डल के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी नहीं हैं, अतः पट्टा अनुबंध पत्र का उल्लंघन होने पर भी स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

6/ आवेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व मण्डल को नोटिस जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, क्योंकि इस प्रकरण में पट्टा अनुबंध पत्र की शर्त कमांक 6 के अन्तर्गत संदेह उत्पन्न हुआ है ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण में म.प्र. शासन राजस्व विभाग द्वारा मण्डल के द्वारा चाहे जाने के बाद भी अपना कोई अभिमत/उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया । पट्टा अनुबंध पत्र की शर्त कमांक 3 निम्नानुसार है :–

In the event of a breach of any of the coditions of this lease the Governor may terminate this lease forthwith without paying any componsation and re-enter upon the Rajaborari forests as if this lease this lease hand not been granted.

उपरोक्त शर्त से स्पष्ट है कि यदि पट्टा अनुबंध पत्र शर्तों का उल्लंघन होता है, तब राजस्व मण्डल को पट्टा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होकर राज्यपाल को प्राप्त है । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर से श्री सी.पी. राय, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल द्वारा जांच कर निम्नलिखित अभिमत के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है :–

**1– निष्कर्ष कमांक–1:– जॉच में निष्कर्ष यह था कि लीज इस प्रवृत्ति की थी, कि उसमें गैर वानिकी के प्रयोग निहित थे** :– उपरोक्तानुसार राधास्वामी सत्संग के साथ हुए करारनामे में लीज शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि वास्तव में यह करारनामा लीज न होकर ठेके की परिभाषा में आता है । यह सर्वमान्य है कि किसी भी डाक्यूमेंट को उसके शीर्षक से नहीं उसकी शर्तों से परखना चाहिए । मूल करारनामा दिनांक

20–7–1953 में राज्य सरकार ने राजाबरारी वनों को प्रबंधन विकास एवं दोहन की दृष्टि से सभा को प्रदान किया था एवं अनेक शर्तें लगाई गई थी, जिनसे स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने अपना आधिपत्य या स्वत्व (Right) हस्तांतरित नहीं किया था । केवल वन क्षेत्र होने की वजह से उसमें कोई गैर वानिकी कार्य निहित नहीं था । काश्तकारी क्षेत्र एवं आबादी आदि ठेके की परिधि से बाहर थे ।

**2– निष्कर्ष कमांक– 2:– धारा 2 (अ) के भीतर केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक था और हुआ नहीं :–** जॉच में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अनुमति लेना आवश्यक माना गया है । वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वर्ष 1988 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप वन भूमि भारत सरकार की पूर्वानुमति उपरांत लीज पर दिये जाने की व्यवस्था प्रावधानित हुई । इस व्यवस्था से पूर्व ही राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा द्वारा वर्ष 1983–84 में उक्त भूमि अपनी सहयोगी संस्था राधास्वामी ट्रेनिंग एम्पलाईमेंट एण्ड आदिवासी अपलिफ्टमेंट इंस्टिटयूट को उपलब्ध कराई गई थी । साथ हीं सभा को राज्य शासन ने पत्र दिनांक 23–11–1983 के द्वारा उपरोक्त हस्तांतरण की अनुमति भी दी थी ।

**3– निष्कर्ष कमांक–3:– लीज का 1953 और 1956 में पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीयन आवश्यक था हुआ नहीं :–** उपरोक्तानुसार जैसा स्पष्ट किया गया है कि करारनामा लीज न होकर ठेके की परिभाषा में आता है, जिसके पंजीयन की आवश्यकता नहीं है । साथ ही पंजीयन अधिनियम की धारा 90 (1) (D) में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसा दस्तावेज, जिसके द्वारा सरकार ने किसी भूमि का Grant अथवा Assignment किया है वह पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन से मुक्त रहेंगे ।

**4– निष्कर्ष कमांक–4 :– 1953 और 1956 में स्टाम्पित नहीं थी :–** उपरोक्तानुसार जैसा स्पष्ट है करारनामा लीज नहीं अपितु ठेका था । अतः इसे स्टाम्पित कराने की आवश्यकता नहीं थी । यदि करारनामें को लीज भी मान लिया जावे तो भी स्टाम्प एक्ट की धारा 3 के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत इसको स्टाम्पित कराने की आवश्यकता नहीं थी ।

**5– निष्कर्ष कमांक–5 एवं 6:– Unduly Stamped/Unstamped को Act upon नहीं किया जा सकता । वह साक्ष्य में भी ग्राहय नहीं है :–** जैसा कि उपरोक्तानुसार

दर्शाया जा चुका है कि करारनामें का न तो पंजीयन आवश्यक था न ही स्टाम्पित कराना आवश्यक था । अतः यह कहना गलत है कि बिना स्टाम्पित कराये कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

**6– निष्कर्ष कमांक–7:– मध्यप्रदेश वन भूमि स्वास्वत पट्टा संहरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार संस्था द्वारा निर्धारित फार्म ई में प्रतिवर्ष जानकारी देने का दायित्व नहीं निभाया गया है :–** इस फार्म में लीज धारक को प्रत्येक वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक लीज के लेखे अक्टूबर तक प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जिसमें कुल आय कुल व्यय तथा शुद्ध आय एवं अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किये गये खर्च का ब्यौरा देना होता है । प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु संस्था द्वारा उपरोक्त जानकारी 30 सितम्बर को प्रस्तुत की जा रही है, जो आवश्यकता का पूर्णतः पालन का स्वरूप है ।

**7– निष्कर्ष कमांक 8:– संस्था द्वारा प्रस्तुत लेखों के रिटर्न भी विधि की अपेक्षा अनुसार जुलाई, जून वर्ष के नहीं है अप्रैल–मार्च वर्ष के हैं :–** मूल करारनामे की कंडिका 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष है । पूरक करारनामे की कंडिका 2 (iii) में भी स्पष्ट उल्लेख है कि राजाबरारी वनों में किये गये कार्यों की समीक्षा एवं लेखा–जोखा भी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रस्तुत किये जायेंगे ।

**8– निष्कर्ष कमांक 9:–धारा 12 मध्यप्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम की अपेक्षा अनुसार कुल आय जनहित में व्यय करने की जगह अवशिष्ट आय जन साधारण के हितों पर व्यय की गई :–** आय का अर्थ ऐसी राशि से है जो कुल प्राप्ति में से व्यय निकालने के पश्चात शेष रह जाती है । शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व सभा को शुद्ध आय/मुनाफे का हिस्सा प्राप्त होता था, जो शासन के आदेश दिनांक 19–2–1974 के फलस्वरूप शून्य हो गया ।

**9– निष्कर्ष कमांक 10:–धारा 12 मध्यप्रदेश वन भूमि पट्टा प्रति संहरण अधिनियम का लाभ राजाबरारी पट्टे को मिल ही नहीं सकता था, क्यों कि इन पट्टे में ही प्रावधानित था कि शुद्ध मुनाफे का मात्र 60 प्रतिशत आदिवासियों पर व्यय किया जाये एवं 20 प्रतिशत खुद रिटेन किया जाये और 20 प्रतिशत**

**शासकीय खजाने में जमा कराया जाये:–** उपरोक्त अधिनियम राजाबरारी पट्टे पर लागू नहीं होता है, चूंकि अधिनियम की धारा 12 के अनुसार "अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात उस पट्टे पर लागू नहीं होगी जिसकी कुल आय जन साधारण के हितों की अभिवृद्धि के लिए समाज के कमजोर वर्गों के ओर विशिष्टतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के शैक्षणिक–आर्थिक अभिवृद्धि के लिए विनियोजित की जाती है । उपरोक्त सभा द्वारा भूमि से प्राप्त पूर्ण राशि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के हेतु उपयोग की गई है ।"

8/ वन विभाग ने अपनी टीप में निम्नलिखित जनकारी भी उपलब्ध कराई गई है :–

"वर्ष 2008 में राज्य शासन ने मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी सदस्य थे, का गठन इस उद्देश्य से किया था कि क्या करारनामें की शर्तों एवं वन अधिनियम का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं । समिति ने करारनामें की बिन्दुवार अध्ययन किया, क्षेत्र का भ्रमण किया, जन प्रतिनिधियों से चर्चा कर अपना प्रतिवेदन 28–11–2008 को प्रस्तुत किया कि ठेके की समस्त शर्तों का पालन हुआ है एवं वन से संबंधित अधिनियमों का पालन भी हुआ है ।"

9/ प्रकरण में वन विभाग के उपरोक्त अभिमत से स्पष्ट है कि कमिश्नर, भोपाल के प्रतिवेदन में जो बिन्दु उठाए गए हैं इनको वन विभाग म.प्र. शासन संज्ञान में ले चुका है । वैसे भी लीज समाप्त करने का निर्णय भी वन विभाग द्वारा ही लिया जाना है । अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में राजस्व मण्डल द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही करना औचित्यपूर्ण न होने से प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही निरस्त करते हुए इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है ।

(डा. मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर